[2020] 11 एस. सी. आर 397

क.

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम।

मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. (2020 की सिविल अपील संख्या 2843)

31 जुलाई, 2020

[ए**.** एम**.** खानविलकर**,** दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

शिक्षा/शैक्षणिक संस्थान-एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 2014 में अपीलकर्ता-न्यास को प्रदान किया गया अनिवार्यता प्रमाण पत्र-आखिरकार, शैक्षणिक वर्ष के लिए सशर्त अनुमति पत्र-हालांकि, एमसीआई द्वारा लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए सकल कमियों के कारण नवीनीकरण अनुमति जारी नहीं की गई-अनिवार्यता प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया-अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई-अस्वीकार कर दिया गया-अपील पर कहा गयाःअपीलार्थी एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट मानकों के न्यूनतम मानक को भी पूरा करने में विफल रहा, जिससे उसे मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति मिली-यहाँ तक कि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में भी।

ग

डी.

अस्पताल और ए. एन. आर बनामपंजाब राज्य और अन्य के रूप में रिपोर्ट किया गया [1976] 3

एस. सी. आर. 202, अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार असाधारण मामलों में अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द/रद्द/वापस ले सकती है-अपीलार्थी ने न्यूनतम बुनियादी ढांचे की स्थापना सुनिश्चित करने की आशावादी उम्मीद देकर, "एक समयबद्ध कार्यक्रम में" एक मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक संरचना की स्थापना करके राज्य सरकार को गलत तरीके से प्रस्तुत किया-इसलिए, यह राज्य सरकार पर की गई रचनात्मक धोखाधड़ी का मामला है और यह अपवादात्मक श्रेणी के भीतर आएगा-जिसके आधार पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था वह पूरी तरह से गायब हो गया था-उच्च न्यायालय के आदेश ने बरकरार रखा-भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956-भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना मेडिकल कॉलेज विनियम, 1999-सामान्य खंड अधिनियम, 1897 -धारा 21-भारत का संविधान-Art.47।

ई.

च

शब्द और अभिव्यक्तियाँ-"स्थापित"-का अर्थ-चर्चा की गई।

जी.

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा**,**

पकड़नाः**1.1** शुरुआत में**,** यह न्यायालय तुरंत सहमत हो सकता है

चिंटपुर्निक मेडिकल कॉलेज में इस उक्ति के साथ कि

एच.

अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने में राज्य एक अर्ध-न्यायिक कार्य है।यह कहने के बाद, यह पालन किया जाना चाहिए कि **1897** के अधिनियम की धारा **21** को लागू नहीं किया जा सकता है और आई. एम. सी. अधिनियम या **1999** के विनियमों में एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द करने या रद्द करने का अधिकार दिया गया है, ऐसी शक्ति को धारा **21** पर भरोसा करते हुए राज्य द्वारा अभिमानी नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, यह राज्य सरकार को उस स्थिति में आवश्यक प्रमाणपत्र को रद्द करने या वापस लेने से वंचित नहीं करता है जब **(**ए**)** राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करके इसे सुरक्षित किया जाता है, **(**बी**)** प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार खो गया है या गायब हो गया है और **(**सी**)** ऐसा आधार, जहां राज्य सरकार की ओर से कोई जांच नहीं की जाती है।यहाँ तक कि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में भी अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार असाधारण मामलों में अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द/रद्द/वापस ले सकती है। चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप से यह निर्धारित नहीं करता है कि राज्य राज्य के भीतर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए दिए गए अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द नहीं कर सकता है।पहली बहिष्कृत श्रेणी वह है जहाँ अपीलार्थी ने राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करके अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।धोखाधड़ी किसी भी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी कार्य या आदेश को दूषित करती है, भले ही उसे समीक्षा की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई हो।यह कब राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी का मामला होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास था, ताकि राज्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।धोखाधड़ी या तो वास्तविक या रचनात्मक धोखाधड़ी हो सकती है।वास्तविक धोखाधड़ी एक जानबूझकर या लापरवाह बयान या आचरण के माध्यम से एक छिपाना या गलत प्रतिनिधित्व है जो किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाता है जो अभिनय में उस पर निर्भर करता है, जबकि रचनात्मक धोखाधड़ी अनजाने में धोखा या गलत प्रस्तुति है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है।वास्तव में, वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने अपने दिनांक **5.9.2019 (**दिनांक **27.8.2014** का अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस लेना**)** के आदेश में एमसीआई की मूल्यांकन रिपोर्ट और समिति की निरीक्षण रिपोर्ट सहित कई पहलुओं पर ध्यान दिया है।राज्य सरकार के साथ वजन का कारण यह है कि अपीलकर्ता इस पूरी अवधि के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचा प्रदान करने और एमसीआई के मानदंडों को पूरा करने और एमसीआई के मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए संबंधित समय पर राज्य को दी गई प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहा था।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

399

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

एमसीआई द्वारा **2016** से बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद ऐसा करने में असमर्थ था। **[**पारस **13-15] [415-C-E; 416-G; 417-B-C, D, G-H; 418-A; 419-A-B]**

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) बनाम सामाजिक संस्थान

कल्याण और अन्य। (2002) 5 एससीसी 685:[2002] 3 एससीआर 1040-पर निर्भर।

चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल और ए. एन. आर. बनामराज्य

पंजाब और ओआरएस। (2018) 15 एससीसी 1:[1976] 3 एस. सी. आर. 202-संदर्भित।

ब्लैक लॉ डिक्शनरी **6** वीं और **11** वीं संस्करण-संदर्भित।**1.2** स्थिति की समग्रता इस तथ्य को पुष्ट करती है कि अपीलार्थी-महाविद्यालय संबंधित समय पर राज्य को दी गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल और उपेक्षित रहा है और मेडिकल कॉलेज शुरू करने और चलाने के लिए एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ है।इस प्रकार इसने न्यूनतम बुनियादी ढांचे की स्थापना सुनिश्चित करने और "एक समयबद्ध कार्यक्रम में" एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक संरचना की स्थापना की आशावादी उम्मीद देकर प्रासंगिक समय पर राज्य सरकार को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।इसलिए, यह राज्य सरकार के साथ रचनात्मक धोखाधड़ी का मामला है।क्योंकि, अनिवार्यता प्रमाण पत्र **(27.8.2014)** जारी होने की तारीख से पाँच साल से अधिक समय बीतने के बाद भी, अपीलार्थी-कॉलेज योजना के अनुसार मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए एम. सी. आई. और केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।राज्य सरकार छात्र समुदाय के अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए मूक दर्शक बने नहीं रह सकती है और उन्हें एक कॉलेज के सामने उजागर नहीं कर सकती है, जो कई मायनों में कम है।यह तथ्य कि अपीलार्थी-महाविद्यालय में सकल कमियों के कारण एमसीआई द्वारा लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए कोई नवीकरण अनुमति नहीं दी गई है, स्वयं अपीलार्थी-महाविद्यालय की स्थिति का संकेत है, जो एक कानूनी निष्कर्ष की गारंटी देता है कि जिस आधार के आधार पर अपीलार्थी-महाविद्यालय को अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, वह पूरी तरह से गायब हो गया था।क्योंकि, अपीलार्थी-महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों का पहला जत्था भी अपना चिकित्सा पाठ्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सका और अंततः राज्य सरकार द्वारा उन्हें राज्य के भीतर अन्य मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में फिर से आवंटित कर दिया गया।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

400 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 11 एस. सी. आर.

क.

नवंबर, **2019** में उस ओर से केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद, आवश्यक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दायित्व के अनुसार राज्य।यह एक गैर-कार्यशील कॉलेज का एक स्पष्ट मामला होने के कारण, व्यापक सार्वजनिक हित में राज्य सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी और यह भी कि आधार गायब हो गया था।यह निश्चित रूप से अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जहां आवश्यक प्रमाणपत्र को वापस लेने की शक्ति का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाना चाहिए और विशेष रूप से एक स्थापित कॉलेज का मामला नहीं होना चाहिए।**[**पारस **16-18] [419-**ई-एच; **420-**ए-सी, एफ**]**

1.3 "स्थापित" शब्द आई. एम. सी. अधिनियम या **1999** के विनियमों में परिभाषित नहीं है।हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-कॉलेज केवल शैक्षणिक वर्ष **2016-17** के लिए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम खोलने और शुरू करने के अंतिम चरण में था।यह एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट मानकों के न्यूनतम मानक को भी पूरा करने में विफल और उपेक्षित रहा, जिससे इसे मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति मिली।मान लीजिए, केंद्र सरकार से लगातार शैक्षणिक वर्षों के लिए कोई नवीनीकरण अनुमति जारी नहीं की गई थी।इस मायने में, यह किसी "स्थापित" मेडिकल कॉलेज के अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने का मामला नहीं है।यदि एम. सी. आई. और राज्य सरकार के विनिर्देशों के अनुसार बुनियादी न्यूनतम बुनियादी ढांचे वाले अच्छी तरह से स्थापित और चल रहे मेडिकल कॉलेज का मामला होता, तो यह मामला अपने अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने के मामले से अलग होता, जहां कॉलेज एम. सी. आई. द्वारा अनुमति का नवीनीकरण न करने के कारण आई. डी. **1** से लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए पहले बैच के मेडिकल पाठ्यक्रम को पूरा करना सुनिश्चित करने में बुरी तरह विफल रहा है। एक पेशेवर कॉलेज में मानकों को बनाए रखने के मामले से निपटने के लिए, एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए

क्योंकि ये कॉलेज संभावित चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने में संलग्न हैं और उनकी शैक्षणिक संभावनाओं को प्रभावित करते हैं।**[**पारस **19,21] [420-**जी**; 421-**बी**-**डी**,** जी**]**

ग

डी.

ई.

च

1.4 भारत के संविधान के अनुच्छेद **47** में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है**,** जिसमें राज्य को अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करने और सुनिश्चित करने का कर्तव्य दिया गया है और सभी को संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार करने का निरंतर प्रयास किया गया है।इस प्रकार
ए

जी.

एच.

401

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

समझा जाता है कि अनुच्छेद **47** के तहत राज्य का कर्तव्य जीवन के अधिकार के पूर्ण प्रयोग के लिए एक **"**सक्षमकर्ता**"** के रूप में कार्य करना है।यदि राज्य इस अधिकार के उचित प्रयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ नहीं बनाता है तो उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के अधिकार का बहुत कम मूल्य होगा।इसमें कोई संदेह नहीं है कि मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तक पहुंच उक्त शर्तों का एक हिस्सा है।वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में राज्य के लिए यह आवश्यक है कि वह राज्य या क्षेत्र के भीतर चिकित्सा बुनियादी ढांचे की गंभीर आवश्यकता का आकलन करे**,** जैसा भी मामला हो।यह तथ्य कि एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र सबसे पहले जारी किया जाता है**,** अपने आप में इस तरह के बुनियादी ढांचे की **"**अनिवार्यता**"** का प्रमाण है।अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने का राज्य का अधिकार दोनों शक्तियों के साथ**-**साथ यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि प्रमाणपत्र के पीछे की आत्मा का आधार गायब न हो या पराजित न हो।शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ और सही तरीके से होना चाहिए।अनुच्छेद **47** के तहत कर्तव्य**,** संवैधानिक अर्थों में**,** राज्य के शासन में मौलिक है।यह शुल्क केवल एक प्रमाण पत्र के अनुदान के साथ समाप्त नहीं होता है**,** बल्कि यह उस बिंदु तक जारी रहता है जब बुनियादी चिकित्सा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का उचित समय सीमा के भीतर उचित ध्यान रखा जाता है।यह न्यायालय चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में दर्ज किए गए दृष्टिकोण और निष्कर्ष से अवगत है।भले ही उस मामले में तथ्य की स्थिति समान प्रतीत हो सकती है**,** लेकिन वर्तमान मामले में**,** जहां एमसीआई द्वारा बार**-**बार अवसर दिए जाने के बावजूद अपीलकर्ता**-**कॉलेज द्वारा इस पूरी अवधि **(**लगभग छह साल**)** के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे की भावना अधूरी रही**,** जैसा कि मूल्यांकन रिपोर्ट में सारांश**/**अवलोकन से देखा गया है**,** यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार पूरी तरह से गायब हो गया था।अपीलार्थी**-**महाविद्यालय अब तक एक असफल संस्थान है और दिनांकित **27.08.2014** विषय अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी करने के पीछे की भावना के अनुसार वर्ष**-**दर**-**वर्ष आधार पर अधिक चिकित्सा कर्मी तैयार करने के लिए छात्र समुदाय और बड़े पैमाने पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है।इस हद तक**,** यह न्यायालय सम्मानपूर्वक चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में लिए गए दृष्टिकोण से अलग है। अपीलार्थी**-**महाविद्यालय द्वारा दायर विषय रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा गया है।अपीलार्थी**-**कॉलेज**,** जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है**,** एमसीआई द्वारा अपने आदेश में बताई गई सभी कमियों को तुरंत दूर करने के लिए स्वतंत्र है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

402 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 11 एस. सी. आर.

क.

दिनांकित **30.5.2019** और अनिवार्यता प्रमाणपत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करें।**[**पारस **23-25,27] [422-D-F, G; 423-A-B, G; 424-B-C]**

पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति और अन्य बनामराज्य

पश्चिम बंगाल और अन्र. (1996) 4 एससीसी 37:[1996] 2 पूरक।एस. सी. आर. 331-पर निर्भर।

हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट शेखर अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड

v. भारत संघ और अन्य। (2015) 2 एससीसी 336:[2014] 14

एस**.** सी**.** आर**. 1367;** मॉडर्न डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर

मध्य प्रदेश राज्य (2016) 7 एस. सी. सी. 353:[2016]

3 एस. सी. आर. 579; औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (ग्वालियर) मध्य प्रदेश लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, ग्वालियर, मध्य प्रदेश

ग

(2018) 4 एससीसी 494:[2018] 10 एस. सी. आर. 481; गौरुल

हसन और ओआरएस**.** वी**.**राजस्थान राज्य और अन्र**.** आकाशवाणी **1967**

एससी 107:[1962] एससीआर 772; हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी (2001) 8 एससीसी 233:[2001] 3 पूरक।एससीआर 38;

डी.

आंध्र प्रदेश सरकार और अन्र बनामवाई. एस.

विवेकानंद रेड्डी और अन्य। ए. आई. आर. 1995 ए. पी. 1-संदर्भित।

निर्णीत विधि संदर्भ

[1976] 3 एससीआर **202**

पैरा **2 [2014] 14** एससीआर **1367** पैरा **12 [2016] 3** एससीआर **579** को संदर्भित किया गया है।

ई.

पैरा **12 [2002] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1040** पैरा **12 [2018] 10** एस**.** सी**.** आर**. 481** पैरा **12 [1962]** एस**.** सी**.** आर**. 772** को संदर्भित किया गया है।

च

पैरा **12 [2001] 3** का उल्लेख किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 38** पैरा **12 [1996] 2** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। एस**.** सी**.** आर**. 331** पैरा **23** पर निर्भर था।

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2020 की सिविल अपील संख्या 2843।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.01.2020 के निर्णय और आदेश से, 2019 के डब्ल्यू. पी. संख्या 17946 में जबलपुर में प्रधान सीट।

एच.

403

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

क.

सौरभ मिश्रा, मध्य प्रदेश के ए. ए. जी., दुष्यंत दवे, विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता।, संकल्प कोचर, मयंक पांडे, सनी चौधरी, गौरव शर्मा, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, एड.उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए**.** एम**.** खानविलकर**,** जे**.**

1 . अनुमति प्रदान की गई.

2. इस अपील में मूल प्रश्न हैःक्या राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए ज्ञानजीत सेवा मिशन ट्रस्ट 1 को दिए गए अनिवार्यता प्रमाण पत्र को अनुचित तरीके से रद्द कर दिया था, जो चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के विपरीत था।

ग

और अस्पताल और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम पंजाब राज्य और अन्य। **2?**

3. अनावश्यक विवरणों से वंचित, मध्य प्रदेश सरकार ने अपीलकर्ता-न्यास द्वारा किए गए एक आवेदन पर, भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना चिकित्सा महाविद्यालय विनियम, 1999 3 में संलग्न प्रपत्र-2 में निर्धारित आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किया। वही इस प्रकार पढ़ता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

“मध्य प्रदेश सरकार

चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल एफ. नं. एफ-5-56/2014 1/55

ई.

तारीखः27.08.2014

को,

च

सभापति,

ज्ञानजीत सेवा मिशन ट्रस्ट,

सुखसागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जबलपुर जबलपुर

जी.

महोदय, वांछित प्रमाण पत्र इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

1 संक्षेप में, "अपीलार्थी-न्यास" या "अपीलार्थी-महाविद्यालय" 2 (2018) 15 एससीसी 1

3 संक्षेप में, "1999 के विनियम"

एच.

404 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 11 एस. सी. आर.

क.

1	राज्य में पहले से मौजूद संस्थानों की संख्या।	6 स्वायत्त चिकित्सा महाविद्यालय 7 निजी चिकित्सा महाविद्यालय
2	उपलब्ध सीटों की संख्या या प्रतिवर्ष पेश किए जाने वाले डॉक्टरों की संख्या।	1770 एमबीबीएस सीटें
3	राज्य चिकित्सा परिषद के अनुसार डॉक्टरों की संख्या।	अद्यतन नहीं किया गया
4	सरकारी सेवा में डॉक्टरों की संख्या।	अद्यतन नहीं किया गया
5	खाली सरकारी पदों की संख्या और ग्रामीण/कठिन क्षेत्रों में।	अद्यतन नहीं किया गया
6	एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में पंजीकृत डॉक्टरों की संख्या।	अद्यतन नहीं किया गया
7	राज्य में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात।	2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 7,26,27000 है। जबलपुर डिवीजन, जहाँ मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित

		है, की जनसंख्या 24,63,289 है।
8	इस महाविद्यालय की स्थापना से राज्य में योग्य चिकित्सा कर्मियों की कमी की समस्या का समाधान कैसे होगा और राज्य में ऐसे चिकित्सा कर्मियों की क्षमता में सुधार कैसे होगा।	मध्य प्रदेश राज्य में योग्य चिकित्सा चिकित्सकों की संख्या बढ़ा कर।
9	राज्य सरकार द्वारा उन छात्रों पर लगाए गए प्रतिबंध, यदि कोई हों, जो राज्य में अधिवासित नहीं हैं, राज्य में प्रवेश प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट किए जाएँ।	कोई पाबंदी नहीं है। एम. पी. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से प्रवेश दिया जाएगा।
10	प्रस्तावित महाविद्यालय को खोलने का पूरा औचित्य।	प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के लिए, आवेदक एक पंजीकृत न्यास है, जिसके पास 300 बिस्तरों वाले अस्पताल और पर्याप्त योजना और समयबद्ध कार्यक्रम के साथ 27.27 एकड़ भूमि है। आवेदक सेंट एफ क्वार्टर, नर्स क्वार्टर, लड़कों और लड़कियों के छात्रावास के साथ-साथ पर्याप्त प्रशासनिक ब्लॉक, पार्किंग स्थान, खेल मैदान विकसित कर रहा है और मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को चलाने के लिए अच्छी तरह से प्रबंधित धन है। यह अस्पताल

		जबलपुर की बढ़ती आबादी की सेवा करेगा। लोगों को एक ही छत के नीचे आधुनिक स्वास्थ्य उपचार मिलेगा। मेडिकल कॉलेज के खुलने से हर साल समाज को 150 प्रशिक्षित और शिक्षित चिकित्सा पेशेवर मिलेंगे, जो बड़े पैमाने पर जनता की सेवा में योगदान देंगे। इस प्रकार, जबलपुर में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन न केवल इस अंतर को कम करेगा, बल्कि निश्चित रूप से जबलपुर के जरूरतमंद रोगियों, विशेष रूप से राज्य की सेवा में योगदान देगा।
11	प्रस्तावित डॉक्टर-रोगी अनुपात प्राप्त किया जाए	मामूली वृद्धि हुई

ग

डी.

ई.

च

जी.

ज्ञानजीत सेवा मिशन ट्रस्ट ने जबलपुर में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया है।प्रस्ताव पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, मध्य प्रदेश सरकार ने एमबीबीएस में 150 सीटों के साथ सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जबलपुर की स्थापना के लिए आवेदक को एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

निम्नलिखित शर्तों के तहत कार्यक्रमः- ए.

एच.

1. भारतीय चिकित्सा परिषद के निरीक्षण से पहले संस्थान एमसीआई के मानदंडों को पूरा करेगा।

2. संस्थान एमसीआई के मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा।

3. सरकार न तो कोई वित्तीय बोझ उठाएगी और न ही संस्थान को अनुदान देगी।

4. संस्थान एमसीआई और राज्य/केंद्र सरकार के सभी नियमों/शर्तों का पालन करेगा।

5. संस्थान केंद्र सरकार, एमसीआई और राज्य सरकार से लिखित अनुमति के बाद ही छात्र को प्रवेश देगा।

6. संस्थान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्रवेश और शुल्क नियामक समिति द्वारा तय की गई पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाकर छात्रों को प्रवेश देगा।

ग

7. संस्थान राज्य सरकार (प्रवेश और शुल्क नियामक समिति) द्वारा तय शुल्क लेगा।कोई अन्य शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।यह प्रमाणित है किः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

आई. आवेदक 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का मालिक है और उसका प्रबंधन करता है।जे. जनहित में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना वांछनीय है।के. भारतीय चिकित्सा परिषद के मानदंडों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री उपलब्ध है।

यह और प्रमाणित किया जाता है कि यदि आवेदक एमसीआई मानदंडों के अनुसार मेडिकल कॉलेज के लिए बुनियादी ढांचा बनाने में विफल रहता है और केंद्र सरकार द्वारा प्रवेश रोक दिया जाता है, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार की अनुमति से कॉलेज में पहले से ही भर्ती छात्रों की जिम्मेदारी लेगी।

ई.

च

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम पर आदेश द्वारा।

ह /-

27.08.2014

(संजीव श्रीवास्तव)

जी.

मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के उप सचिव।तिथि/08/2014 "

एच.

(जोर दिया गया)

4. उपरोक्त अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने के बाद, अपीलकर्ता-न्यास ने जबलपुर में सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के नाम और शैली में एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद 4 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसमें शैक्षणिक वर्ष के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 छात्रों के वार्षिक प्रवेश के साथ।एमसीआई ने उचित निरीक्षण के बाद रोगियों और निवासी कर्मचारियों के बारे में नकली रिकॉर्ड सहित सकल कमियों के कारण केंद्र सरकार को एक नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांकित 10.6.2016 पत्र के माध्यम से प्रस्तावित योजना को खारिज कर दिया था।हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय की अधिदेशित निरीक्षण समिति (ओ. सी.) 5 द्वारा जारी दिनांक 13.6.2016 के निर्देशों के आलोक में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपीलकर्ता-न्यास को उसमें उल्लिखित कुछ शर्तों पर एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की अनुमति के अनुसार, अपने पहले के पत्र के स्थान पर 20.8.2016 पर एक पत्र जारी किया।यह अनुमति एक वर्ष की अवधि के लिए वैध थी, जिसे वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जाना था, बशर्ते ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत योजना में बताए गए वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के सत्यापन और प्रदर्शन बैंक गारंटी के पुनर्मूल्यांकन के अधीन हो।यह स्पष्ट किया गया कि अनुमति के नवीनीकरण की प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना और अस्पताल सुविधाओं का विस्तार पूरा नहीं हो जाता और इसे आगे बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज को औपचारिक मान्यता नहीं दी जाती।ट्रस्ट को यह भी स्पष्ट किया गया कि शैक्षणिक वर्ष के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रों के अगले बैच को केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने और अनुमति पत्र (एलओपी) के पैराग्राफ 2 में निर्दिष्ट एस. सी. एम. ओ. सी. द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही कॉलेज में प्रवेश दिया जाए।एमसीआई ने कॉलेज का निरीक्षण किया और पाया कि प्रबंधन द्वारा दिए गए वचन का उल्लंघन और उल्लंघन किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने कॉलेज को शैक्षणिक वर्षों 2017-18 और 2018-19 के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

ग

डी.

ई.

च

5. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि बाद के शैक्षणिक वर्षों यानी 2017-18,2018-19 और 2019-20 के लिए, अपीलार्थी-महाविद्यालय को अनुमति का कोई नवीनीकरण नहीं किया गया था।एमसीआई की 3 और 4 जनवरी, 2019 की नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी-कॉलेज एमसीआई की निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों को सुधारने में असमर्थ था। मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लिखित कमियां इस प्रकार हैं:- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

4 संक्षेप में, "एमसीआई" 5 संक्षेप में, "एससीएमओसी"

एच.

407

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

क.

“...

1. एम. ई. यू. द्वारा कोई अभिविन्यास और बुनियादी पाठ्यक्रम नहीं किया गया।

2. कॉलेज के लिए एक व्याख्यान थिएटर की कमी है, अस्पताल व्याख्यान थिएटर गैलरी प्रकार का नहीं है।

3. केंद्रीय पुस्तकालय में:- पुस्तकों की संख्या में 798 की कमी-भारतीय पत्रिकाओं में 14 की कमी-विदेशी पत्रिकाओं में 06 की कमी

ग

4. छात्रावास आवास में 176 की कमी (आवश्यक 360-उपलब्ध 224)।

5. बायोमेट्रिक उपकरण अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

6. बिस्तर अधिभोग 3.65% (410 बिस्तरों पर 15 रोगी)।7. छोटी सर्जरी, सामान्य प्रसव, सिजेरियन सेक्शन-शून्य

डी.

8. बा, आई. वी. पी.-शून्य, सी. टी. स्कैन स्थापित नहीं है।

9. दाखिले की संख्या केवल 2, हताहतों की उपस्थिति एक (01)।10. साइटोपैथोलॉजी शून्य, दुर्घटना में स्थिर एक्स-रे-शून्य

ई.

11. ओ. बी. जी. वाई. के लिए अलग से दुर्घटना उपलब्ध नहीं है।

12. ओटी ब्लॉक में डिफिब्रिलेटर कुल 04 हैं और इन्हें विभिन्न थिएटरों के बीच साझा किया जा रहा है।

13. आई. सी. सी. यू., आई. सी. यू., एस. आई. सी. यू., एन. आई. सी. यू. और पी. आई. सी. यू. में कोई मरीज नहीं है।

च

14. 01 मोबाइल 60 एमए, 01 स्टेटिक 800 एमए, सीटी रेडियोलॉजी विभाग में उपलब्ध नहीं है।

15. दवा विभाग में कोई पुतले उपलब्ध नहीं हैं।

16. आर. एच. टी. सी. में छात्रों के लिए कोई आवास उपलब्ध नहीं है, छात्र आर. एच. टी. सी. जाते हैं लेकिन यू. एच. टी. सी. में नहीं।

जी.

17. संकाय की कमी 88.03% (103/117) 18.निवासियों की कमी 90.9% (60-66)

..."

एच.

(जोर दिया गया)

नतीजतन, एमसीआई के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने दिनांकित 30.5.2019 के पत्र के माध्यम से, शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए एमबीबीएस पाठ्यक्रम में 150 छात्रों के प्रवेश के लिए अनुमति के नवीनीकरण के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

6. इस पृष्ठभूमि में, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने दिनांक 7.8.2019 पर एक कारण-प्रदर्शन नोटिस जारी किया, जिसमें अपीलार्थी से कारण दिखाने के लिए कहा गया कि अपीलार्थी-न्यास के पक्ष में जारी आवश्यक प्रमाणपत्र को क्यों रद्द नहीं किया जाना चाहिए।

7. अपीलार्थी ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर 6 में प्रधान पीठ, के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके उक्त कारण दर्शाओ नोटिस पर हमला किया, जो रिट याचिका संख्या 17946/2019 थी।उक्त रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, अपीलार्थी ने कारण दर्शाओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया और राज्य सरकार के अनिवार्यता प्रमाणपत्र को रद्द करने के अधिकार पर सवाल उठाया, मुख्य रूप से इसके निर्णय पर भरोसा करते हुए।

ग

चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (ऊपर) में न्यायालय।

डी.

8. मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सचिव ने अपीलार्थी को उचित अवसर देने और कारण दर्शाएँ नोटिस पर उसके जवाब पर विचार करने के बाद, अंततः एक आदेश पारित किया जिसमें दिनांकित 27.8.2014 के आवश्यक प्रमाणपत्र को रद्द करने/रद्द करने/वापस लेने का निर्देश दिया गया।अनिवार्यता प्रमाणपत्र को रद्द करने में प्राधिकरण के साथ वजन करने वाले कारणों का विज्ञापन करना उचित है।प्राधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखा है कि अपीलकर्ता समय-समय पर एमसीआई द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने में विफल रहा है और उस हिसाब से शैक्षणिक वर्षों 2017-18,2018-19 और 2019-20 के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया गया था।इस प्रकार, अपीलार्थी आवश्यकता प्रमाणपत्र के खंड संख्या 1,2 और 4 में निर्दिष्ट शर्तों के विपरीत, मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए न्यूनतम नैदानिक सामग्री भी प्रदान करने में विफल रहा था।वास्तव में, कॉलेज शैक्षणिक वर्ष से इस संबंध में दिए गए कई अवसरों के बावजूद, मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को प्रदान करने में विफल और उपेक्षित रहा था।कमियां (जैसा कि एमसीआई की मूल्यांकन रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है), सकल थीं और शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के दौरान कॉलेज में भर्ती 150 छात्रों के पहले बैच के शैक्षणिक करियर को भी खतरे में डाल दिया था।राज्य के अधिकारियों के संज्ञान में यह भी आया था कि कॉलेज ने उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करने से इनकार कर दिया था जिन्होंने शुल्क जमा नहीं किया था, जो फिर से था

ई.

च

जी.

6 संक्षेप में, "उच्च न्यायालय"

एच.

409

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

क.

अनिवार्यता प्रमाणपत्र में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन करना।जबलपुर के कलेक्टर, कॉलेज प्रबंधन और छात्रों के बीच एक संयुक्त बैठक के दौरान, छात्रों की शिकायतों पर विचार किया गया और प्रबंधन को दस दिनों के भीतर सुधारात्मक उपाय करने और छात्रों को बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने और कक्षाएं फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया।हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसलिए, दिनांकित 5.9.2019 आदेश के समापन भाग में, इसे निम्नानुसार नोट किया गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“.....

(xvii) सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संबंध में, चिकित्सा छात्रों के अध्ययन के लिए उचित बुनियादी सुविधाएं प्रदान नहीं करने के कार्य, पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए आवश्यक शैक्षणिक कर्मचारियों की कमी, अस्पताल में भर्ती होने वाले रोगियों की बहुत कम संख्या के कारण नैदानिक सामग्री की अनुपलब्धता, और विभिन्न कमियों के कारण सत्रों 2017-18,2018-19 और 2019-20 के लिए एमसीआई द्वारा मान्यता नहीं देने का तथ्य, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, का घोर उल्लंघन है।

ग

डी.

अनिवार्यता के अनुदान की शर्तें और आधार शर्तें

राज्य सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र।इस संबंध में**,**

3 साल की अवधि के लिए लगातार आवश्यक कार्रवाई करने में कॉलेज प्रबंधन की विफलता के कारण**,** यह स्पष्ट है कि वे आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं**,** यानी रोगियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना और चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाना।दूसरी ओर सत्र **2016-17** में भर्ती छात्रों के चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण उनका भविष्य अंधेरा हो गया है।इसलिए**,** कारण दिखाएँ

ई.

च

सुख सागर कॉलेज को राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया नोटिस (एससीएन) कानून के अनुसार है।

(xviii) डब्ल्यू. पी. सं. 17946/2019 में, सुखसागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम। एम. पी. और अन्य राज्यों में, माननीय उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी को वर्तमान मामले से संबंधित सभी पहलुओं को संज्ञान में लेने के बाद वर्तमान मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।इस निरंतरता में, कलेक्टर, जबलपुर की रिपोर्ट और सुख सागर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आपत्तियों की विस्तार से जांच की गई और माननीय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में बिंदुवार जांच की गई।

जी.

एच.

चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (ऊपर) के मामले में सुप्रीम कोर्ट।सभी बिंदुओं की विस्तृत जांच के आधार पर, सरकार द्वारा लिया जाने वाला निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू. पी. सं. 17946/2019 में पारित अंतरिम आदेश के अनुसार है।

इसलिए**,** उचित विचार के बाद**,** राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल**,** जबलपुर को आवश्यक प्रमाणपत्र **(**वांछनीयता और व्यवहार्यता प्रमाण पत्र**)** जारी किया जाए। विभाग का **27** अगस्त**, 2014** का एफ **5-56/2014 <**आई**.** डी**. 1,** तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।

यह आदेश, माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा डब्ल्यू. पी. संख्या 17946/2019 में पारित अंतिम आदेश के अधीन होगा, जिसका शीर्षक सुखसागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम है। एम. पी. और अन्य का राज्य।

..."

डी.

(जोर दिया गया) 9.इसलिए, अपीलार्थी ने लंबित रिट याचिका में संशोधन किया और आवश्यक प्रमाणपत्र (दिनांक 27.8.2014) को रद्द करते हुए अतिरिक्त सचिव द्वारा पारित दिनांक 5.9.2019 के आदेश को चुनौती दी।इससे पहले कि हम उच्च न्यायालय के विवादित निर्णय का विज्ञापन दें, यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जिन छात्रों को शैक्षणिक वर्ष के लिए पहले बैच में प्रवेश दिया गया था, उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें राज्य सरकार को राज्य के कुछ अन्य मान्यता प्राप्त सरकारी/निजी कॉलेजों में अपीलार्थी-कॉलेज के छात्रों को समायोजित करने का निर्देश जारी करने के लिए रिट याचिका संख्या आई. डी. 1 थी, जो आवश्यक प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट शर्तों के आलोक में थी, जो अभी भी प्रचलन में थी।उच्च न्यायालय ने संबंधित छात्रों के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और कानून के अनुसार आवश्यक उपाय करने के लिए राज्य के अधिकारियों को निर्देश देने के साथ उक्त रिट याचिका का निपटान किया था।आखिरकार, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 5.9.2019 के आदेश के माध्यम से अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द करने के बाद, 2016-17 के पहले बैच से संबंधित संबंधित छात्रों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांकित 25.11.2019 के पत्र के माध्यम से दी गई अनुमति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य के भीतर छह मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों में समायोजित/पुनः आवंटित किया गया।

ई.

च

जी.

एच.

411

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

क.

10. विवादित फैसले पर लौटते हुए, अपीलार्थी द्वारा दायर विषय रिट याचिका को संक्षिप्त रूप से खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने एक मौखिक आदेश द्वारा यह निर्णय दिया कि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (उपरोक्त) में निर्णय राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग करने से पूरी तरह से मना नहीं करता है।उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार इस न्यायालय के सूचित निर्णय में निर्दिष्ट अपवादात्मक श्रेणियों के भीतर कार्य करती है। चूंकि, राज्य सरकार ने आवश्यक प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कॉलेज द्वारा की गई धोखाधड़ी, मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं के न्यूनतम मानकों को प्रदान करने में कॉलेज की अक्षमता और राज्य द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र को रद्द करने के कारणों के रूप में आधार और व्यापक सार्वजनिक हित के पूर्ण नुकसान को ध्यान में रखा है।हालाँकि, रिट याचिका को अस्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को एमसीआई द्वारा अपने दिनांक 1 में इंगित कमियों को दूर करने और राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाण पत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करने की स्वतंत्रता दी और यदि इसके बाद इसे अस्वीकार कर दिया जाता है, तो अपीलार्थी कार्रवाई का एक नया कारण होने के नाते इस तरह के निर्णय पर सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र था।उच्च न्यायालय ने इन टिप्पणियों के साथ रिट याचिका का निपटारा कर दिया है।

ग

डी.

11. हमने अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री दुष्यंत दवे, भारतीय चिकित्सा परिषद के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विकास सिंह और मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा को सुना है।

ई.

12. शुरुआत में, हम चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (उपरोक्त) में इस न्यायालय के दो-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का बारीकी से विश्लेषण करना उचित समझते हैं।क्योंकि, उक्त निर्णय पर बहुत जोर दिया गया है क्योंकि इसमें समान तथ्य स्थिति शामिल है। उस मामले में भी, पंजाब राज्य में वर्ष 2011 में मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया था।पहले बैच के लिए अनुमति वर्ष 2011-12 में दी गई थी। बाद के शैक्षणिक वर्षों यानी 2012-13 और 2013-14 के लिए, कॉलेज को अनुमति का नवीनीकरण नहीं किया गया था, क्योंकि एमसीआई द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान इसमें कमी पाई गई थी। हालाँकि, शैक्षणिक वर्ष 2014-15 के लिए, हिंद में इस न्यायालय के आदेश के संदर्भ में अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) दिया गया था।

च

जी.

चैरिटेबल ट्रस्ट शेखर अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ

& ओआरएस। 7.इसके बाद, याचिकाकर्ता को शैक्षणिक वर्ष 2015-16 के लिए अनुमति का नवीनीकरण नहीं दिया गया। कॉलेज ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम की धारा 11 के तहत मान्यता देने के लिए आवेदन किया था।

7 (2015) 2 एससीसी 336 ए

एच.

412

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 11 एस सी आर।

1956 8 2015 में।एमसीआई द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान, 100% की सीमा तक कमियों पर ध्यान दिया गया।इसके बावजूद, मॉडर्न डेंटल कॉलेज में इस न्यायालय के फैसले के संदर्भ में और

अनुसंधान केंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य **9,** योजना प्रस्तुत की गई

कॉलेज द्वारा आगे की प्रक्रिया की गई थी।एस. सी. एम. ओ. सी. ने एम. सी. आई. को निरीक्षण करने का निर्देश दिया और यदि कॉलेज में कमी पाई जाती है, तो इसे दो साल की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाना था।एमसीआई ने 7.3.2017 पर संबंधित कॉलेज का निरीक्षण किया और पाया कि इसमें कमी है, इस प्रकार केंद्र सरकार ने कॉलेज को दो शैक्षणिक वर्षों यानी 2017-18 और 2018-19 के लिए अनुमत प्रवेश के खिलाफ छात्रों को प्रवेश देने से रोकने की सिफारिश की।उपरोक्त निर्णय को संबंधित कॉलेज द्वारा एक रिट याचिका के माध्यम से असफल रूप से चुनौती दी गई थी।इस बीच, राज्य सरकार ने संबंधित कॉलेज को जारी किए गए अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने का फैसला किया।उस निर्णय को इस न्यायालय के समक्ष एक अलग रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई थी।उस चुनौती पर विचार करते हुए, न्यायालय ने आई. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों की योजना और उस उद्देश्य की जांच की जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता थी।इसने नोट किया कि एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए आशय पत्र (एल. ओ. आई.)/अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) के अनुदान के लिए योजना जमा करते समय इसी शर्त को पूर्ववर्ती बनाया गया है।इसने नोट किया कि राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रमाणित करने की आवश्यकता है, जनहित में निर्दिष्ट संख्या में सीटों के साथ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए इसकी मंजूरी और आगे यह कि ऐसी स्थापना संभव है।इस प्रकार, राज्य सरकार की ओर से एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जिसमें उल्लेख किया गया है कि एक मेडिकल कॉलेज होना आवश्यक है, जैसा कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित किया गया है, एक ऐसे कॉलेज की स्थापना को रोकने के लिए है जहां किसी की आवश्यकता नहीं है या बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों के बीच अस्वास्थ्यकर प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए है।इसके अलावा, अनिवार्यता प्रमाणपत्र का एकमात्र उद्देश्य आई. एम. सी. अधिनियम की धारा 10-ए के तहत कार्य करने वाली केंद्र सरकार को एक नए मेडिकल कॉलेज को खोलने या स्थापित करने की अनुमति देने के लिए एक सूचित निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी को सुविधा प्रदान करना है और एक बार कॉलेज की स्थापना के बाद, इसका कामकाज और प्रदर्शन और यहां तक कि इसके पाठ्यक्रमों की मान्यता भी आई. एम. सी. अधिनियम के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होती है न कि किसी अन्य कानून द्वारा।यह कहते हुए कि, पैराग्राफ 17 में, न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

ई.

च

जी.

8 संक्षेप में, "आई. एम. सी. अधिनियम" 9 (2016) 7 एस. सी. सी. 353 ए

एच.

413

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

“17. राज्य सरकार सहित किसी भी प्राधिकरण को, जो केवल एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करता है, किसी भी शक्ति का प्रयोग करने की अनुमति देना अनुज्ञेय नहीं होगा, जिसका केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाने की अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रभाव हो सकता है।ऐसा राज्य सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकती है। इसके अलावा, अनिवार्यता प्रमाण पत्र का उद्देश्य केंद्र सरकार को यह प्रमाणित करने तक सीमित है कि मेडिकल कॉलेज स्थापित करना आवश्यक है।यह.

इससे आगे नहीं जाता है।दूसरे शब्दों में, एक बार जब राज्य सरकार प्रमाणित कर देती है कि एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना उचित है, तो बाद के चरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए कोई औचित्य नहीं था।

ग

महाविद्यालय।निश्चित रूप से, एक व्यक्ति जो राज्य सरकार के इस आश्वासन पर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है कि ऐसा प्रतिष्ठान उचित है, उसे बाद के चरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका कोई औचित्य नहीं था।

उसे ऐसा करने की अनुमति देने के लिए।इसके अलावा, ऐसा प्रतीत होता है कि एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त माना जाना चाहिए, सिवाय इसके कि निश्चित रूप से

डी.

धोखाधड़ी के मामलों में।समता आ निष्पक्षताक नियम आ प्रतिज्ञात्मक रोक-टोक एहि न्यायालयकेँ विपरीत दृष्टिकोण रखबाक अनुमति नहि दैत छैक।” (जोर दिया गया) न्यायालय ने तब यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार को 1999 के विनियमों द्वारा केवल अपने क्षेत्रों के भीतर एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को उचित ठहराने के लिए अनिवार्यता प्रमाण पत्र के उद्देश्य से नामित किया गया है और वह भी जब एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मांग करने वाले व्यक्ति द्वारा संपर्क किया जाता है। राज्य को सामान्य निरीक्षण की किसी भी शक्ति का कोई प्रत्यक्ष सम्मान नहीं है और न ही ऐसी शक्ति को विनियमों में पढ़ा जा सकता है और न ही स्पष्ट रूप से प्रदत्त शक्ति को लागू करने के लिए आवश्यक रूप से निहित किया जा सकता है जो मौजूद नहीं है।आवश्यक प्रमाणपत्र को वापस लेने के राज्य के अंतर्निहित अधिकार के बारे में राज्य के तर्क को खारिज करते हुए, न्यायालय ने पैराग्राफ 24 में इस प्रकार टिप्पणी कीः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

च

“24. पंजाब राज्य के विद्वान वकील ने कहा कि चूंकि अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए पर्याप्त नैदानिक सामग्री की उपलब्धता को प्रमाणित करता है, इसलिए नियमों के अनुसार, राज्य के पास कॉलेज की स्थापना के बाद भी कॉलेज के निरीक्षण की आवश्यक शक्ति है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि

जी.

पर्याप्त नैदानिक सामग्री।इस प्रस्तुति को भी अस्वीकार किया जाना चाहिए क्योंकि राज्य को पर्याप्त प्रमाणित करने का आदेश दिया गया है।

एच.

414 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 11 एस. सी. आर.

नैदानिक सामग्री केवल मेडिकल कॉलेज के प्रस्ताव के समय और इसकी स्थापना के बाद नहीं।लेकिन हम पाते हैं कि

प्रस्तुतियाँ कि राज्य ने "पर्याप्त नैदानिक सामग्री" शब्द की पूरी तरह से गलत व्याख्या की है।राज्य के अनुसार, "पर्याप्त नैदानिक सामग्री" का अर्थ है "लोग" अर्थात डॉक्टर, रोगी, कर्मचारी आदि। जबकि, चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इस शब्द का अर्थ प्रवेश की संख्या, डिस्चार्ज की संख्या, मौतों की संख्या, सर्जरी की संख्या, प्रक्रियाओं की संख्या, एक्स-रे और प्रयोगशाला जांच के बारे में डेटा के रूप में समझा जाता है।इस प्रकार, प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना को सही ठहराने के लिए राज्य को इस क्षेत्र में उपलब्ध आंकड़ों को प्रमाणित करने की आवश्यकता है।जाहिर है, एक मेडिकल कॉलेज के अस्तित्व को उचित ठहराने के उद्देश्य से, राज्य का यह दावा कि इसे स्थापित होने के बाद कॉलेज का निरीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए, यह देखने के लिए कि क्या इसके निरंतर अस्तित्व को सही ठहराने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर, मरीज आदि हैं, पूरी तरह से खोखला और निराधार है।"

ग

(जोर दिया गया) न्यायालय ने तब सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 21 के लिए अपनी शक्ति के अस्तित्व के बारे में राज्य के तर्क को नोट किया।इस संबंध में, न्यायालय ने नोट किया कि प्रमाण पत्र न तो एक अधिसूचना है और न ही एक आदेश या नियम या उप-कानून है जैसा कि 1897 अधिनियम की धारा 21 द्वारा विचार किया गया है। इसके अलावा, राज्य द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य एक अर्ध-न्यायिक कार्य है।यह न तो एक विधायी कार्य है और न ही एक कार्यकारी कार्य है, ताकि 1897 अधिनियम की धारा 21 को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा, सलाह दी जाती है कि आई. एम. सी. अधिनियम या 1999 के विनियमों में कोई प्रावधान नहीं है जो राज्य को किसी स्थापित मेडिकल कॉलेज के संबंध में एक बार दिए गए अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द करने या रद्द करने का अधिकार देता है।उस संबंध में एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में और एक आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करना एक अर्ध-न्यायिक कार्य होने के कारण, 1897 अधिनियम की धारा 21 का कोई लाभ नहीं होगा।दूसरे शब्दों में, राज्य के पास एक बार स्थापित कॉलेज के संबंध में दिए गए अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने का कोई अधिकार नहीं था।साथ ही, इस न्यायालय के पहले के फैसलों का पालन करते हुए न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में भी, राज्य प्रमाण पत्र को वापस लेने में सक्षम होगा, जहां यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया जाता है या ऐसी परिस्थितियों में जहां मूल आधार, जिस पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिया गया था, गायब हो जाता है या इसी तरह का कोई अन्य कारण है।इसके लिए, न्यायालय ने भारत में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया है।

डी.

ई.

च

जी.

10 संक्षेप में, "1897 का अधिनियम"

एच.

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

क.

राष्ट्रीय कांग्रेस **(**आई**)** बनाम समाज कल्याण संस्थान और अन्य। **11,** औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम **(**ग्वालियर**)** मध्य प्रदेश लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त**,** ग्वालियर**,** मध्य प्रदेश **12,** गौरुल हसन और अन्य। बनाम।राजस्थान राज्य और अन्र**. 13** और हरि शंकर जैन बनाम। सोनिया गांधी **14** और आंध्र प्रदेश सरकार में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और ए**.** एन**.** आर**.** बनाम**.**वाई**.** एस**.** विवेकानंद रेड्डी और अन्य। **15.**

13. शुरुआत में, हम चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (उपरोक्त) के इस कथन से सीधे सहमत हो सकते हैं कि अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी करने में राज्य का कार्य एक अर्ध-न्यायिक कार्य है, जो उपरोक्त उल्लिखित निर्णयों से प्राप्त सादृश्य द्वारा समर्थित है।यह कहने के बाद, यह पालन किया जाना चाहिए कि 1897 के अधिनियम की धारा 21 को लागू नहीं किया जा सकता है और आई. एम. सी. अधिनियम या 1999 के विनियमों में एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द करने या रद्द करने का अधिकार दिया गया है, ऐसी शक्ति को धारा 21 पर भरोसा करते हुए राज्य द्वारा अभिमानी नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, यह राज्य सरकार को उस स्थिति में आवश्यक प्रमाणपत्र को रद्द करने या वापस लेने से वंचित नहीं करता है जब (ए) राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करके इसे सुरक्षित किया जाता है, (बी) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार खो गया है या गायब हो गया है और (सी) ऐसा आधार, जहां राज्य सरकार की ओर से कोई जांच नहीं की जाती है।

ग

डी.

राज्य सरकार।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) (ऊपर) में, न्यायालय ने

राजनीतिक दल को पंजीकृत करने के अपने आदेश की समीक्षा करने के चुनाव आयोग के फैसले पर हमला करने के लिए इसी तरह के तर्क पर विचार करते हुए, निम्नलिखित रूप में देखा गयाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

“33. हालांकि, तीन अपवाद हैं जहां

आयोग किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने के अपने आदेश की समीक्षा कर सकता है।एक**.**

जहां किसी राजनीतिक दल ने आयोग में धोखाधड़ी करके अपना पंजीकरण प्राप्त किया है**,** दूसरा**,** यह अधिनियम की धारा **29-**ए की उप**-**धारा **(9)** से उत्पन्न होता है और तीसरा**,** कोई भी समान आधार जहां चुनाव आयोग की ओर से कोई जांच नहीं की जाती है**,** उदाहरण के लिए**,** जहां संबंधित राजनीतिक दल को केंद्र सरकार द्वारा गैरकानूनी गतिविधि **(**रोकथाम**)** अधिनियम**, 1967** या इसी तरह के किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत गैरकानूनी घोषित किया जाता है।**"**

च

जी.

11 (2002) 5 एससीसी 685 12 (2018) 4 एससीसी 494 13 एआईआर 1967 एससी 107 14 (2001) 8 एससीसी 233 15 एआईआर 1995 एपी 1

(जोर दिया गया)

एच.

और फिर, पैराग्राफ 41 (3) और 41 (4) में, निर्णय का सारांश देते हुए, न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः- - प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

"41. संक्षेप में, हमने पूर्वगामी पैराग्राफ में जो रखा है वह इस प्रकार हैः

1. XXX XXX XXX

2. XXX XXX XXX

3. हालाँकि, उपरोक्त पैराग्राफ 2 में बताए गए सिद्धांत के अपवाद हैं जहाँ चुनाव आयोग पंजीकरण को रद्द करने की अपनी शक्ति से वंचित नहीं है।अपवाद ये हैंः

ग

(क**)** जहाँ किसी राजनीतिक दल ने धोखाधड़ी या जालसाजी करके पंजीकरण प्राप्त किया है**;**

(ख**)** जहां कोई पंजीकृत राजनीतिक दल अधिनियम की धारा **29-**ए **(5)** के प्रावधानों के अनुरूप अपने संगठन**,** नियमों और विनियमों के नामकरण को निरस्त करते हुए या चुनाव आयोग को सूचित करता है कि उसका भारत के संविधान या संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा समाप्त हो गई है।

डी.

समाजवाद**,** धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांत या यह संप्रभुता**,** एकता और लोकतंत्र को बनाए नहीं रखेंगे।

अधिनियम की धारा **29-**ए **(5)** के प्रावधानों का पालन करने के लिए भारत की अखंडता**;** और

ई.

(ग**)** ऐसा कोई भी आधार जहां आयोग की ओर से कोई जांच नहीं की जाती है।

4. सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों को अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है। चूँकि चुनाव आयोग अधिनियम की धारा 29-ए के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अर्ध-न्यायिक रूप से कार्य करता है, इसलिए सामान्य खंड अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों का कोई उपयोग नहीं होता है।"

च

(जोर दिया गया)

जी.

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, यहाँ तक कि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (ऊपर) में भी,

न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार इस प्रकार का अवलोकन करके असाधारण मामलों में अनिवार्यता प्रमाणपत्र को रद्द/रद्द/वापस ले सकती हैः- "36. हम शायद यह निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस नहीं लिया जा सकता है।द ए.

एच.

राज्य सरकार को ऐसे प्रमाण पत्र को वापस लेने का अधिकार होगा जहां यह धोखाधड़ी करके प्राप्त किया जाता है या कोई भी परिस्थिति जहां वही आधार गायब हो जाता है जिस पर अनिवार्यता प्रमाण पत्र दिया गया था या इसी तरह का कोई अन्य कारण हो।"

(जोर दिया गया)

दूसरे शब्दों में, हम मानते हैं कि चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (ऊपर)

यह पूर्ण रूप से निर्धारित नहीं करता है कि राज्य राज्य के भीतर एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए दिए गए अनिवार्यता प्रमाण पत्र को रद्द नहीं कर सकता है।रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 36 में दिए गए अवलोकन भी इस स्थिति को दोहराते हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि उसमें निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में राज्य ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है।14. इसलिए, वर्तमान अपील में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राज्य सरकार का निर्णय, दिनांक 5.9.2019, अपवाद की गई श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत आता है।पहली बहिष्कृत श्रेणी वह है जहाँ अपीलार्थी ने राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी करके अनिवार्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया था।यह अच्छी तरह से तय है कि धोखाधड़ी किसी भी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी कार्य या आदेश को दूषित करती है, भले ही उसे समीक्षा की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई हो, जैसा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) (उपरोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ 34 में निम्नलिखित शब्दों में कहा गया हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ग

डी.

“34. पहले अपवाद पर आते हुए, यह लगभग तय कानून है कि धोखाधड़ी किसी भी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण द्वारा पारित किसी भी कार्य या आदेश को दूषित करती है, भले ही उसे समीक्षा की कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई हो।वास्तव में, धोखाधड़ी

ई.

सभी कार्यों को दूषित करता है।स्मिथ बनाम ईस्ट एलो रूरल डिस्ट्रिक्ट में।परिषद

[(1956) 1 सभी ई. आर. 855], यह कहा गया था कि धोखाधड़ी का प्रभाव आम तौर पर सभी अधिनियमों और आदेशों को दूषित करने के लिए होगा।इंडियन बैंक बनाम सत्यम फाइबर (इंडिया) (पी) लिमिटेड [(1996) 5 एस. सी. सी. 550] में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जालसाजी या धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किसी आदेश को रद्द करने/वापस बुलाने की शक्ति न केवल कानूनी अदालतों पर लागू होती है, बल्कि उन वैधानिक न्यायाधिकरणों पर भी लागू होती है जिनके पास समीक्षा की शक्ति नहीं है।इस प्रकार, पंजीकरण प्राप्त करते समय किसी राजनीतिक दल द्वारा की जाने वाली धोखाधड़ी या जालसाजी, यदि चुनाव आयोग के संज्ञान में आती है, तो आयोग के लिए ऐसे राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने का अधिकार है।"

च

जी.

यह कब राज्य सरकार के साथ धोखाधड़ी का मामला होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या यह अपीलार्थी द्वारा तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास था, ताकि राज्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा सके।धोखाधड़ी या तो वास्तविक या रचनात्मक धोखाधड़ी हो सकती है।वास्तविक धोखाधड़ी एक छिपाना या झूठा है।

एच.

जानबूझकर या लापरवाह बयान या आचरण के माध्यम से प्रतिनिधित्व जो किसी अन्य को चोट पहुँचाता है जो अभिनय में उस पर निर्भर करता है, जबकि रचनात्मक धोखाधड़ी अनजाने में धोखा या गलत निरूपण है जो दूसरे को चोट पहुँचाता है।ब्लैक लॉ डिक्शनरी 16 में वर्णित वास्तविक या रचनात्मक धोखाधड़ी इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

" वास्तविक धोखाधड़ी।एक जानबूझकर या लापरवाह बयान या आचरण के माध्यम से एक छिपाने या गलत प्रतिनिधित्व जो दूसरे को चोट पहुँचाता है जो अभिनय में उस पर निर्भर करता है।– वास्तव में धोखाधड़ी भी कहा जाता है; सकारात्मक

धोखाधड़ी; नैतिक धोखाधड़ी।"

" रचनात्मक धोखाधड़ी।1. अनजाने में धोखा या गलत निरूपण जो दूसरे को चोट पहुँचाता है।2. कानून में धोखाधड़ी। धोखाधड़ी जो परिस्थितियों के तहत अनुमान लगाया जाता है, इरादे की परवाह किए बिना, यूसु।वैधानिक रूप से बनाए गए अनुमान के माध्यम से।• धोखाधड़ी की कल्पना की जा सकती है, उदाहरण के लिए, जब कोई देनदार परिसंपत्तियों का हस्तांतरण करता है और इस तरह बकाया राशि एकत्र करने के लिए लेनदारों के प्रयासों को बाधित करता है।इस प्रकार की धोखाधड़ी कानून के संचालन से उत्पन्न होती है, ऐसे आचरण से, जिसे यदि मंजूरी दी जाती है, तो (या तो विशेष परिस्थिति में या सामान्य अनुभव में) धोखाधड़ी करने के वास्तविक इरादे के सबूत के बावजूद, एक अनुचित लाभ प्राप्त होगा।– कानूनी धोखाधड़ी भी कहा जाता है;

ग

डी.

कानून के विचार में धोखाधड़ी; न्यायसंगत धोखाधड़ी; समानता में धोखाधड़ी।"

उसी विधि शब्दकोश के छठे संस्करण में "कार्रवाई योग्य धोखाधड़ी" के अर्थ का विज्ञापन करना भी उपयोगी हो सकता है, जो इस प्रकार हैः- " कार्रवाई योग्य धोखाधड़ी।धोखाधड़ी का अभ्यास दूसरे को संपत्ति के साथ भाग लेने या कुछ कानूनी अधिकार को आत्मसमर्पण करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जाता है।धोखा देने के इरादे से किया गया एक गलत प्रतिनिधित्व; ऐसा यह कहकर किया जा सकता है कि क्या गलत है या किसी कथन के सत्य के ज्ञान का दावा करके किया जा सकता है जो गलत है, लेकिन दोनों ही मामलों में, आवश्यक घटक धोखा देने के इरादे से कहा गया झूठ है।"कार्रवाई योग्य धोखाधड़ी" का गठन करने के लिए, यह प्रतीत होना चाहिए कि प्रतिवादी ने एक भौतिक प्रतिनिधित्व किया था; कि यह गलत था; कि जब उसने इसे बनाया तो वह जानता था कि यह गलत था, या इसकी सच्चाई के बारे में किसी भी ज्ञान के बिना और एक सकारात्मक दावे के रूप में इसे लापरवाही से बनाया; कि उसने इसे इस इरादे से बनाया कि वादी द्वारा इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए; कि वादी ने इस पर भरोसा करते हुए काम किया; और जिससे वादी को चोट लगी।आवश्यक तत्व प्रतिनिधित्व, झूठ, वैज्ञानिक, धोखा, निर्भरता और चोट हैं।"

ई.

च

जी.

16 ब्लैक लॉ डिक्शनरी 11 वां संस्करण ए

एच.

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

15. वास्तव में, वर्तमान मामले में, राज्य सरकार ने अपने दिनांक 1 के आदेश में एमसीआई की मूल्यांकन रिपोर्ट और समिति की निरीक्षण रिपोर्ट सहित कई पहलुओं पर ध्यान दिया है।राज्य सरकार के साथ कारण का सार, जैसा कि उक्त आदेश से निकाला जा सकता है, यह है कि अपीलकर्ता इस पूरी अवधि के लिए न्यूनतम बुनियादी ढांचा प्रदान करने और एमसीआई के मानदंडों को पूरा करने और एमसीआई के मानदंडों के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति करने की प्रासंगिक समय पर राज्य को दी गई प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल रहा था और एमसीआई द्वारा 2016 से बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद ऐसा करने में असमर्थ था। इसके अलावा, भले ही अपीलार्थी को शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए सशर्त अनुमति पत्र (एल. ओ. पी.) दिया गया था, लेकिन वह कमियों को दूर करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप पहला बैच भी अपीलार्थी-कॉलेज में चिकित्सा पाठ्यक्रम को आगे नहीं बढ़ा सका या पूरा नहीं कर सका।संबंधित छात्र राज्य के अधिकारियों के समक्ष गंभीर प्रतिनिधित्व करते रहे ताकि उन्हें उस स्थिति से बचाया जा सके जिसमें वे फंसे हुए थे।निर्विवाद रूप से, संबंधित छात्रों (<ID2 के पहले बैच में भर्ती) को अंततः नवंबर, 2019 के बाद किसी अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज में फिर से आवंटित कर दिया गया, क्योंकि अपीलार्थी-कॉलेज को अनुमति का कोई नवीनीकरण लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों यानी 2017-18,2018-19 और 2019-20 के लिए नहीं किया जा रहा था।

ग

डी.

16. राज्य द्वारा ऐसी परिस्थितियों को किसी भी तरह की कल्पना के बिना, अप्रासंगिक, अमूर्त या काल्पनिक के रूप में नजरअंदाज किया जा सकता है।बल्कि, स्थिति की समग्रता इस तथ्य को पुष्ट करती है कि अपीलार्थी-महाविद्यालय संबंधित समय पर राज्य को दी गई अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल और उपेक्षित रहा है और मेडिकल कॉलेज शुरू करने और चलाने के लिए एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानदंडों को पूरा करने में असमर्थ है।इस प्रकार इसने न्यूनतम बुनियादी ढांचे की स्थापना सुनिश्चित करने और "एक समयबद्ध कार्यक्रम में" एक मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक संरचना की स्थापना की आशावादी उम्मीद देकर प्रासंगिक समय पर राज्य सरकार को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था। इसलिए, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह राज्य सरकार के साथ रचनात्मक धोखाधड़ी का मामला है। क्योंकि, अनिवार्यता प्रमाणपत्र (27.8.2014) जारी होने की तारीख से पाँच साल से अधिक समय बीतने के बाद भी, अपीलार्थी-कॉलेज योजना के अनुसार मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए एम. सी. आई. और केंद्र सरकार से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।17. राज्य सरकार छात्र समुदाय के अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए मूक दर्शक बने नहीं रह सकती है और उन्हें एक कॉलेज के सामने उजागर नहीं कर सकती है, जो कई मायनों में कम है।तथ्य यह है

ई.

च

जी.

एच.

यह कि अपीलार्थी-महाविद्यालय में सकल कमियों के कारण एमसीआई द्वारा लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए कोई नवीकरण अनुमति नहीं दी गई है, स्वयं अपीलार्थी-महाविद्यालय की स्थिति का संकेत है, जो एक कानूनी निष्कर्ष की गारंटी देता है कि वह आधार जिसके आधार पर अपीलार्थी-महाविद्यालय को अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किया गया था, पूरी तरह से गायब हो गया था।क्योंकि, अपीलार्थी-महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्रों का पहला बैच भी अपना चिकित्सा पाठ्यक्रम आगे नहीं बढ़ा सका और अंततः राज्य सरकार द्वारा नवंबर, 2019 में केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद, अनिवार्यता प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट दायित्व के अनुसार राज्य के भीतर अन्य मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को फिर से आवंटित किया गया।

ग

18. अनिवार्यता प्रमाणपत्र अपीलार्थी-महाविद्यालय के प्रतिनिधित्व पर जारी किया गया था कि यह राज्य को हर साल 150 पूरी तरह से प्रशिक्षित और योग्य डॉक्टर देगा, जिससे डॉक्टर-रोगी अनुपात में सुधार होगा और संलग्न अस्पताल में आस-पास की आबादी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाएगी।2016-17 से 2019-20 तक शुरू होने वाले लगातार चार शैक्षणिक सत्रों के लिए केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करने में अपीलार्थी-कॉलेज की विफलता के कारण यह सब एक चमत्कार बन गया है। अपीलार्थी-महाविद्यालय द्वारा अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी किए जाने के बाद एक भी डॉक्टर को पेश नहीं किया गया है और न ही महाविद्यालय से जुड़े अस्पताल को एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानक प्रदान किए गए हैं और इसमें बहुत कमी पाई गई है। स्थिति के व्यापक दृष्टिकोण पर, एमसीआई मानदंडों और अन्य संबद्ध शर्तों की पूर्ति को अनिवार्यता प्रमाण पत्र के विचार/निरंतरता के लिए एक निहित अनिवार्यता के रूप में समझा जाना चाहिए।क्योंकि मानकों से कोई विचलन नहीं हो सकता है।यह एक गैर-कार्यशील कॉलेज का एक स्पष्ट मामला होने के कारण, व्यापक सार्वजनिक हित में राज्य सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता थी और यह भी कि आधार गायब हो गया था।यह निश्चित रूप से अपवादात्मक श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जहां आवश्यक प्रमाणपत्र को वापस लेने की शक्ति का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाना चाहिए और विशेष रूप से एक स्थापित कॉलेज का मामला नहीं होना चाहिए।

डी.

ई.

च

19. "स्थापित" शब्द आई. एम. सी. अधिनियम या 1999 के विनियमों में परिभाषित नहीं है।इस अभिव्यक्ति का सामान्य बोलचाल का अर्थ, जैसा कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के 11 वें संस्करण में बताया गया है, इस प्रकार हैः- " स्थापित,1. अस्तित्व में लाया गया या अस्तित्व में लाया गया।2. लंबे समय से अस्तित्व में है; पहले से ही दीर्घकालिक उपयोग में है।3. सिद्ध; संदेह से परे प्रदर्शित।4. अच्छे परिणामों के साथ लंबे अनुभव के कारण किसी विशेष काम को अच्छी तरह से करने के लिए जाना जाता है।

जी.

एच.

421

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

क.

5. (एक चर्च या धर्म का**)** आधिकारिक तौर पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रायोजित।**"**

हालाँकि, वर्तमान मामले में, अपीलार्थी-कॉलेज केवल शैक्षणिक वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम खोलने और शुरू करने के अंतिम चरण में था।यह एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट मानकों के न्यूनतम मानक को भी पूरा करने में विफल और उपेक्षित रहा, जिससे इसे मेडिकल कॉलेज चलाने की अनुमति मिली।मान लीजिए, केंद्र सरकार से लगातार शैक्षणिक वर्षों के लिए कोई नवीनीकरण अनुमति जारी नहीं की गई थी।इस मायने में, यह किसी "स्थापित" मेडिकल कॉलेज के अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने का मामला नहीं है।यदि एम. सी. आई. और राज्य सरकार के विनिर्देशों के अनुसार बुनियादी न्यूनतम बुनियादी ढांचे वाले अच्छी तरह से स्थापित और चल रहे मेडिकल कॉलेज का मामला होता, तो यह मामला अपने अनिवार्यता प्रमाण पत्र को वापस लेने के मामले से अलग होता, जहां कॉलेज एम. सी. आई. द्वारा अनुमति का नवीनीकरण न करने के कारण आई. डी. 1 से लगातार तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए पहले बैच के मेडिकल पाठ्यक्रम को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा है।

ग

डी.

20. राज्य सरकार द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद हितधारकों के बीच वैध अपेक्षा होगी कि आवेदक-कॉलेज एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट बुनियादी मानदंडों को समयबद्ध तरीके से पूरा करेगा, ताकि मेडिकल कॉलेज खोला जा सके और इसे मानदंडों के अनुसार संचालित किया जा सके।हालाँकि, वर्तमान मामले में अगस्त, 2014 से अगस्त, 2019 में विषय-कारण-सूचना जारी होने और अनिवार्यता प्रमाणपत्र को वापस लेने के विवादित आदेश के पारित होने तक ऐसा नहीं हुआ है।यह तथ्य कि आवेदक ने अपने आप में मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए कुछ निवेश किया है, राज्य सरकार की शक्ति को कम करने का आधार नहीं हो सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी हो सकता है कि मेडिकल कॉलेज को उचित समय के भीतर आवश्यक प्रमाण पत्र के संदर्भ में स्थापित किया जाए।

ई.

च

21. एक पेशेवर कॉलेज में मानकों को बनाए रखने के मामले से निपटने के लिए, एक सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए क्योंकि ये कॉलेज संभावित चिकित्सा पेशेवरों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने में संलग्न हैं और उनकी शैक्षणिक संभावनाओं को प्रभावित करते हैं।इस प्रकार, ऐसे कॉलेजों से अक्षम और अक्षम डॉक्टर पैदा करने के अलावा, ऐसे अभाव वाले कॉलेजों में चिकित्सा पाठ्यक्रम करने वाले छात्र समुदाय के भविष्य से समझौता किया जाएगा।यह बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक बड़ा जोखिम पैदा करेगा और राज्य द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र में निहित आशावादी आशा को विफल कर देगा।

जी.

एच.

22. वास्तव में, यह तथ्य कि अपीलार्थी-कॉलेज को दिया गया अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस ले लिया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि संबंधित इलाके या राज्य में एक नए मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।अन्य बातों के अलावा, आवश्यक प्रमाणपत्र के पीछे का कारण डॉक्टर-रोगी अनुपात में सुधार और संलग्न अस्पताल में आबादी के लिए स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच है।वास्तव में, योजना को समयबद्ध तरीके से सही तरीके से पूरा करने में नए मेडिकल कॉलेज की विफलता के कारण आवश्यकता और बढ़ जाएगी।इससे राज्य की चिकित्सा श्रम शक्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक डॉक्टरों की मांग और आपूर्ति अनुपात के असंतुलन को बढ़ाया जा सकता है।यह जनहित में नहीं होगा और न ही राज्य सरकार के लिए उचित होगा कि वह मूक दर्शक बनी रहे और कार्रवाई में न आए जब कॉलेज उचित समय के भीतर अनिवार्यता प्रमाण पत्र के पीछे की भावना का अनुवाद करने में बुरी तरह विफल रहता है।एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यकता और मानकों को पूरा करने के लिए पांच साल की अवधि को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ग

23. भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जिसमें राज्य को अच्छे सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करने और सुनिश्चित करने का कर्तव्य दिया गया है और सभी को संविधान द्वारा गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए इसमें सुधार करने का निरंतर प्रयास किया गया है।इस प्रकार समझा जाता है कि अनुच्छेद 47 के तहत राज्य का कर्तव्य जीवन के अधिकार के पूर्ण प्रयोग के लिए एक "सक्षमकर्ता" के रूप में कार्य करना है।यदि राज्य इस अधिकार के उचित प्रयोग के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ नहीं बनाता है तो उचित सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच के अधिकार का बहुत कम मूल्य होगा।मेडिकल कॉलेज और अस्पताल तक पहुंच, निस्संदेह, एक हिस्सा है।

डी.

ई.

उक्त शर्तों में से।पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति और अन्य बनामपश्चिम बंगाल राज्य और अन्न। 17, इस न्यायालय ने कहा कि यह है

पर्याप्त प्रदान करने के लिए राज्य का संवैधानिक दायित्व

च

लोगों को चिकित्सा सेवाएँ।इस उद्देश्य के लिए जो भी आवश्यक है उसे करना होगा।"

24. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, वर्तमान तथ्यात्मक मैट्रिक्स में राज्य के लिए आवश्यक है कि वह राज्य या क्षेत्र के भीतर चिकित्सा बुनियादी ढांचे की गंभीर आवश्यकता का आकलन करे, जैसा भी मामला हो।यह तथ्य कि एक अनिवार्यता प्रमाण पत्र सबसे पहले जारी किया जाता है, अपने आप में इस तरह के बुनियादी ढांचे की "अनिवार्यता" का प्रमाण है।अनिवार्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने का राज्य का अधिकार दोनों शक्तियों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य है कि प्रमाणपत्र के पीछे की आत्मा का आधार गायब न हो जाए

जी.

17 (1996) 4 एससीसी 37 ए

एच.

423

सुख सागर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाम मध्य प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

या पराजित हो जाता है।शक्ति का प्रयोग और कर्तव्य का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ और सही तरीके से होना चाहिए।विशेष रूप से, अनुच्छेद 47 के तहत कर्तव्य, संवैधानिक अर्थों में, राज्य के शासन में मौलिक है।यह शुल्क केवल एक प्रमाण पत्र के अनुदान के साथ समाप्त नहीं होता है, बल्कि यह उस बिंदु तक जारी रहता है जब एक उचित समय सीमा के भीतर बुनियादी चिकित्सा बुनियादी ढांचे की आवश्यकता का उचित ध्यान रखा जाता है।इस तरह के प्रमाण पत्र के लिए भविष्य में कोई भी आवेदन, चाहे वह वर्तमान अपीलार्थी द्वारा (इस निर्णय में निर्देशों के संदर्भ में) हो या किसी अन्य आवेदक द्वारा, तदनुसार निपटा जाना चाहिए, और राज्य का पर्यवेक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए जारी रहना चाहिए कि इस तरह के प्रमाण पत्र के अनुदान का उद्देश्य और आधार गायब नहीं हुआ है और न ही गायब हुआ है।

ग

25. हम चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज (उपरोक्त) में दर्ज किए गए दृष्टिकोण और निष्कर्ष से अवगत हैं।भले ही उस मामले में तथ्य की स्थिति समान प्रतीत हो सकती है, लेकिन हमारी राय में, वर्तमान मामले में, जहां एमसीआई द्वारा बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद (लगभग छह साल) अपीलकर्ता-कॉलेज द्वारा इस पूरी अवधि (लगभग छह साल) के लिए अनिवार्य प्रमाण पत्र जारी करने के पीछे की भावना अधूरी रही है, जैसा कि मूल्यांकन रिपोर्ट में सारांश/अवलोकन से देखा गया है, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आधार पूरी तरह से गायब हो गया था।राज्य सरकार से पांच साल की अवधि से बहुत कम समय के लिए अनिश्चित काल तक इंतजार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, जिससे क्षेत्र में छात्र समुदाय के हितों पर प्रभाव पड़ता है और डॉक्टर-रोगी अनुपात में वृद्धि होती है और गंभीर कमियों के कारण संलग्न अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधा से इनकार किया जाता है।हमारे विचार में, ऐसी स्थिति को अपवादात्मक श्रेणी के भीतर आना चाहिए, जहां राज्य सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और अंतराल की स्थिति को पूर्ववत करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए और संबंधित इलाके में या राज्य के भीतर एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए एमसीआई द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम मानकों/मानदंडों को पूरा करने में सक्षम किसी अन्य संस्थान को एक खिड़की प्रदान करनी चाहिए।बिना किसी और अड़चन के, हमारा विचार है कि अपीलार्थी-महाविद्यालय अब तक एक विफल संस्थान है और वर्ष दर वर्ष आधार पर अधिक चिकित्सा कर्मियों को तैयार करने के लिए छात्र समुदाय और बड़े पैमाने पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ है।इस हद तक, हम सम्मानपूर्वक चिंतपूर्णी में लिए गए दृष्टिकोण से अलग हो जाते हैं

डी.

ई.

च

जी.

मेडिकल कॉलेज (ऊपर)।

26. अभिलेख को पूरा करने के लिए, हम अपीलार्थी के इस तर्क का उल्लेख कर सकते हैं कि अपीलार्थी का संलग्न अस्पताल अब ले लिया गया है।

एच.

हाल ही में राज्य सरकार द्वारा कोविड रोगियों को उपचार प्रदान करने के लिए।हालाँकि, इस मुद्दे का जवाब देने से कोई फायदा नहीं होगा।हम इस तर्क को आगे बढ़ाने का इरादा नहीं रखते हैं।

27. मामले के समग्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम अपीलार्थी-कॉलेज द्वारा दायर विषय रिट याचिका को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हैं, जिसमें उसने राज्य सरकार के दिनांक 5.9.2019 के आदेश पर हमला किया था, जिसमें दिनांक 27.8.2014 का अनिवार्यता प्रमाण पत्र वापस ले लिया गया था। साथ ही, हम उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-महाविद्यालय को दी गई स्वतंत्रता को दोहराते हैं कि वह एमसीआई द्वारा अपने दिनांक 1 में इंगित सभी कमियों को तुरंत दूर करे और राज्य सरकार को अनिवार्यता प्रमाण पत्र के लिए नए सिरे से आवेदन करे और यदि उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित उपाय करने के लिए कार्रवाई का एक नया कारण है।

ग

28. अपील को तदनुसार योग्यता से रहित होने के कारण खारिज कर दिया जाता है।सभी पक्ष अपना खर्च स्वयं वहां करेंगे। लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

डी.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज की जाती है।

ई.

च

जी.

एच.